


**13.12.17**

आज आवेदक/आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ने आवेदन पेश कर व्यक्त किया गया कि प्र०क० 525/11 इ.फौ. शा०पु०मौ विरुद्ध जयकुमार उर्फ जैकी अंतर्गत धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 24.10.17 के पालन में न्यायालय में संचालित एम.जे.सी. क्रमांक 145/17 में निर्णयानुसार धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अंतर्गत दो हजार रुपये एवं धारा 403 भादस के अंतर्गत एक हजार रुपये कुल तीन हजार रुपये आज दिनांक को जमा किए जाने का निवेदन किया गया है। न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया गया। मूल प्रकरण अभिलेखागार गोहद से तलब किया जावे।


प्रकरण मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

  
प्रतिम एफ.सी. गोहद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
मोहरा जिला-सिद्धा (राज)



# Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 ....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p><b>पुनश्च:</b></p> <p>अभिलेखागार गोहद से मूल अभिलेख प्राप्त। मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया। न्यायहित में आवेदन में स्वीकार करते हुए आवेद/आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी को अर्थदण्ड राशि जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>आदेश के पालन में अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि तीन हजार रुपये अर्थदण्ड राशि रशीद क्रमांक <u>59</u> बुक क्रमांक <u>6907</u> पर जमा की गयी।</p> <p>आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जाकर मूल अभिलेख पुनः दाखिल अभिलेखागार किया जावे।</p> <p>एम.जे.सी. में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः एम.जे.सी. प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">   <b>प्रतिष्ठा अवस्था</b>  <b>ज.एम.एफ.सी. गोहदेण</b>  <b>न्यायिक अधिकारी, गोहदेण</b>  <b>गोहद जिला- दिण्ड (म.प.)</b> </p>	